

UPEW010021642023



न्यायालय विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०)/अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-4, इटावा।

पीठासीन अधिकारी-जनार्दन प्रसाद यादव, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O Code-UP6431

विशेष वाद सं०-440/2023

राज्य प्रति नरेन्द्र सिंह पुत्र गंगाराम, निवासी रसूलाबाद,
थाना बसरेहर, जिला इटावा।

अ.सं.146/2020

धारा-135 विद्युत अधिनियम।

थाना ए.पी.टी, जिला इटावा।

31.01.2024

पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त उपस्थित है। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि उसने विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क जमा कर दिया है, अब उस पर विद्युत विभाग का कोई बकाया शेष नहीं है। अभियुक्त द्वारा उक्त अभियोग को शमन के आधार पर लोक अदालत में निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा राजस्व निर्धारण की धनराशि 6472/-रु० एवं शमन शुल्क धनराशि 2000/-रुपये जमा किया गया है। जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर अधिशाषी अभियन्ता, इटावा का पत्र संख्या 5884 दिनांकित 22.11.2022 की प्रति संलग्न है।

विशेष लोक अभियोजक विद्युत ने उपरोक्त राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क की धनराशि अभियुक्त द्वारा जमा किया जाना स्वीकार करते हुये, उक्त अभियोग की कार्यवाही शमन के आधार पर समाप्त किए जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।

अभियुक्त के विरुद्ध धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त अपराध शमनीय प्रकृति का अपराध है, जिसमें विभाग द्वारा राजस्व निर्धारण धनराशि व शमन शुल्क प्राप्त करके मामले का शमन किया जाता है।

न्यायालय के मतानुसार चूँकि आरोपित धारा-135 भारतीय विद्युत अधिनियम अन्तर्गत धारा 152 (1) शमनीय है। अतः न्यायहित में विशेष वाद शमन किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त नरेन्द्र सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा-135(1)(a) विद्युत अधिनियम, विद्युत अधिनियम की धारा-152(2) के आधार पर शमन करते हुये, विशेष वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तदनु रूप अभियुक्त नरेन्द्र सिंह को धारा-135(1)(a) विद्युत अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उसका बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा जामिनदार को उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(जनार्दन प्रसाद यादव)

विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.) /

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.4, इटावा।

31.01.2024

